सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः स्कूल चलो अभियान/5807 /2013–14 दिनांक 16 मार्च 2013

विषयः **"स्कूल चलो अभियान" आयोजित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार का यह संकल्प है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6–14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक–बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। यह एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके कियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की आवश्यकता होगी।

नवीन शैक्षिक सत्र 01.07.2013 से प्रारम्भ होगा। बालक एवं बालिकाओं का नामांकन कराने एवं पूरे वर्ष उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके माता–पिता/अभिभावकों एवं सामान्य जन को जागरूक करने हेतु **15 अप्रैल 2013** से सम्पूर्ण प्रदेश में **स्कूल चलो अभियान** संचालित किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत इस बात पर विशेष बल दिया जायेगा कि शिक्षकों/शिक्षा मित्रों द्वारा घर–घर जाकर बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों से सम्पर्क किया जाये एवं बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने के लिए विशेष प्रयास किया जाय। विशेष कर **आउट ऑफ स्कूल बच्चों** को चिन्हित करके, उनका आयुसंगत कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कराते हुए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। शैक्षिक सत्र 2013–14 में

6–14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को शत–प्रतिशत विद्यालय में नामांकित कराने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठोस रणनीति तैयार की गयी है।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षामित्र विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सहयोग से अपने विद्यालय से सेवित क्षेत्र में निम्नवत् गतिविधियाँ संचालित करेगें।

1. **सर्व प्रथम विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक कर स्कूल चलो अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा करें।**
2. **एस0एम0सी0 के सदस्यों के साथ अपने विद्यालय से सेवित क्षेत्र में घर–घर जाकर सम्पर्क करें।**
3. **अपने विद्यालय से सेवित प्रत्येक बस्ती/मजरें/क्षेत्र व उन घरों को चिन्हित कर लें जिनके बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं/अनियमित हैं/प्रवासी परिवारों के है तथा उन घरों में जाकर उनके अभिभावकों से बातचीत कर बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना सुनिश्चित करें।**
4. **आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ बैठक कर उनके पास उपलब्ध बच्चों की सूची से 5+ वय वर्ग के बच्चों की सूची प्राप्त कर कक्षा एक में नामांकन की तैयारी।**
5. **घर–घर में सम्पर्क के अतिरिक्त समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु रैली, प्रभात फेरी का आयोजन करें।**
6. **नामांकन एवं जागरूकता हेतु घरों में सम्पर्क के दौरान जिस घर में सम्पर्क किया जाये वहाँ रंगीन चॉक से ED लिखकर तिथि भी अंकित की जाये, उदाहरणार्थ यदि किसी घर का भ्रमण 02 मई 2013 को किया जाता है तो उक्त घर पर निम्नवत् अंकित किया जाय।**

ED/ 02-05-2013

7. **शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 2,3,4 व 5 में प्रोन्नत बच्चों का नामांकन 31 मई 2013 तक नये रजिस्टर में कर लिया जाय।**
8. **शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 7 व 8 के बच्चों का नामांकन शैक्षिक सत्र 2013–14 के लिए 31 मई 2013 तक नये रजिस्टर में नामांकन कर लिया जाय।**
9. **स्कूल चलो अभियान के आधार पर प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कक्षा 1 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन की समस्त तैयारी कर ली जाय तथा 31 मई 2013 तक इन बच्चों का नामांकन सम्बन्धित कक्षाओं में कर लिया जाय।**

10. 01 जुलाई 2013 से सभी कक्षाओं में पठन–पाठन का कार्य पूर्ण रूप से प्रारम्भ किया जाय।

स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शिक्षक/शिक्षा मित्रों तथा बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्नानुसार गतिविधियाँ आयोजित करायी जायें–

जनपद स्तर पर–

1.	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक–कार्यक्रम के कियान्वयन की रणनीति का निर्धारण।	20–25 मार्च 2013
2.	जनपद के जन प्रतिनिधियों यथा /मा0 संसद सदस्य/ मा0 विधायकगण/ मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य से नामांकन में सहयोग हेतु सम्पर्क	25–30 मार्च 2013
3.	स्कूल चलो अभियान का प्रचार प्रसार	1–5 अप्रैल 2013

ब्लॉक स्तर पर–

1.	ब्लॉक प्रमुख/बी0डी0सी0 सदस्यों तथा ग्राम प्रधानों के साथ विशेष बैठक एवं कार्ययोजना निर्माण	01–05 अप्रैल 2013

ग्राम/वार्ड स्तर पर–

1.	ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक एवं वर्ष 2013–14 में अभियान संचालन हेतु कार्ययोजना बनाना।	06–12 अप्रैल 2013
2.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से सम्पर्क व चर्चा कर उनके पास उपलब्ध 5+आयु के बच्चों की सूची प्राप्त करना।	13–14 अप्रैल 2013
3.	प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, विचार–गोष्ठी, मोहल्ला बैठकों का आयोजन करना, समुदाय व अभिभावकों को शिक्षा के महत्व एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देना।	15–21 अप्रैल 2013
4.	अध्यापकों द्वारा दैनिक रूप से विद्यालय अवधि के उपरांत घर–घर सम्पर्क करना तथा 6–14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को जागृत करना व आगामी शैक्षिक सत्र में नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करना।	22 अप्रैल–21 मई 2013
5.	चिन्हित बच्चों का नामांकन कराना	22–24 मई 2013
6.	छूटे हुए बच्चों के नामांकन हेतु घर–घर जाकर माता–पिता से पुनः सम्पर्क करना।	25–29 मई 2013
7.	नवीन व प्रोन्नत विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना।	30–31 मई 2013

विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों का कक्षावार विवरण तैयार कर प्रोन्नती के उपरांत अगली कक्षा में नामांकन 31 मई 2013 तक सुनिश्चित कर लिया जाये। 01 जुलाई 2013 से नया शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होगा जिसमें कक्षा 1 एवं 6 में नामांकित नये विद्यार्थियों की उपस्थिति का विशेष ध्यान रखा जाय। कक्षावार नामांकन की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को **दिनांक 07 जून 2013** तक उपलब्ध करायी जाय।

आपसे अनुरोध है कि उक्त महत्वपूर्ण अभियान को अपने जनपद में संचालित करने हेतु अपने कुशल नेतृत्व में उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

पृ0सं0: स्कूल चलो अभियान/5807 /2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ।
3. निदेशक, मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक)/(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) समस्त मण्डल।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा